संख्या-6/2026/001-373-81-7-2026

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2026**

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण व जन जागरूकता मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-54/पर्या/शिक्षा, प्रशि० व जन जाग० कार्यक्रम/2026-27, दिनांक 27.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नांकित कार्यक्रम चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 40.00 लाख (रू० चालीस लाख मात्र) की पत्र में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1- पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवसों पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवसों पर मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना है। इसके अन्तर्गत संगोष्ठी/कार्यशाला/कान्फ्रेन्स, प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों की पोस्टर/भाषण/क्विज/स्किट प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता व रैली इत्यादि का आयोजन, पर्यावरणीय संदेशों का समाचार पत्रों/रेडियों के माध्यम से प्रसारण, प्रचार सामग्री जैसे स्टीकर पैम्पलेट, पोस्टर एवं बुकलेट इत्यादि का प्रकाशन एवं वितरण तथा सांस्कृतिक दलों के माध्यम से नुक्कड़ नाटक/कठपुतली/सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। (इस कार्य में निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं आदि का भी सहयोग लिया जायेगा।)

2- **पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में छात्र/छात्राओं में पर्यावरणीय जागरूकता के प्रसार हेतु मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रमों यथा संगोष्ठी, रैली, कार्यशाला, प्रतियोगिता एवं शिविरों इत्यादि का आयोजन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों जैसे उद्यमियों/उद्योग संघों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विकास विभागों,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शिक्षकों, छात्र-छात्राओं, चिकित्सकों/नर्सिंग होम संघो, स्थानीय निकायों इत्यादि हेतु पर्यावरण बहुविषयक एक/बहु दिवसीय हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना है। (इस कार्य में निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं आदि का भी सहयोग लिया जायेगा।)

3- पर्यावरण जागरूकता संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन

इसके अन्तर्गत विभिन्न अवसरों जैसे स्थानीय मेलों एवं महोत्सवों पर पर्यावरण प्रर्दशनी का आयोजन तथा प्रर्दशनी से संबंधित विविध सामग्री आदि का निर्माण/क्रय कराया जाना है। इसके अलावा पर्यावरण बहुविषयक प्रचार एवं प्रसार सामग्री जैसे बुकलेट, पैम्फलेट, पोस्टर और स्टीकर इत्यादि का प्रकाशन एवं विवरण भी कराया जाना है।

4- मीडिया के संसाधनों द्वारा पर्यावरण का प्रचार प्रसार

आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो एफ०एम०, होर्डिंग्स, समाचार पत्रों एवं मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण इत्यादि किया जाना है।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी/विभाग की पुर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः नियमानुसार प्राप्त किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त वित्तीय नियमों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता/डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. आदि में जमा नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है, इसका व्यय नई मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-54/पर्या/शिक्षा, प्रशि० व जन जाग० कार्यक्रम/2026-27, दिनांक 27.04.2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों का समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुपालन किया जायेगा।

7- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 40,00,000 (रूपये चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 045 लेखा शीर्षक** 3435030030300 पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

चिरौंजी लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
6- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in